कार्यालय कलेक्टर, जिला आगर-मालवा (म.प्र.)

आगर-सारंगपुर रोड, आगर-मालवा, 465441 फोन नं.(O) 07362-259100, (Fax)260700
E-mail: dmagarmalwa@nic.in, Website:- www.agarmalwa.mp.gov.in

क्रमांक/एस.डब्ल्यू./2020/ 37 आगर-मालवा दिनांक 10/01/2020

:: आदेश ::

संभागीय प्रबंधक, म.प्र. सड़क विकास निगम, उज्जैन के पत्र क्रमांक 68/उज्जैन-आगर-झालावाड़ मार्ग/2020 दिनांक 07.01.2020 अनुसार उज्जैन-आगर-झालावाड़ मार्ग पर सुसनेर से लगभग 18.00 कि.मी. पर सोयत की तरफ कंठाल नदी पर निर्मित वृहद् पुल क्षतिग्रस्त हो गया है जिस पर भारी वाहन (12 टन वजन से अधिक) को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया जाना आवश्यक है। मार्ग में सुचारू रूप से यातायात हेतु वैकल्पिक मार्ग सोयत-माचलपुर रोड़ होते हुए जीरापुर एवं जीरापुर से सुसनेर वाले मार्ग का उपयोग किया जा सकता है। पत्र के साथ वैकल्पिक मार्ग का मानचित्र एवं क्षतिग्रस्त पुल के फोटोग्राफ प्रस्तुत किए गए हैं।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों एवं लोक सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुये मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 115 एवं म.प्र. मोटरयान नियम, 1994 की धारा 215 के अन्तर्गत उज्जैन-आगर-झालावाड़ मार्ग पर सुसनेर से लगभग 18.00 कि.मी. पर सोयत की तरफ कंठाल नदी पर निर्मित वृहद् पुल पर भारी वाहन (माल एवं यात्री) (12 टन वजन से अधिक) के यातायात को पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाकर वैकल्पिक मार्ग सोयत-माचलपुर रोड़ होते हुए जीरापुर एवं जीरापुर से सुसनेर वाले मार्ग का उपयोग किए जाने हेतु आदेशित किया जाता है।

उक्त आदेश दिनांक 10.01.2020 से 05.02.2020 तक प्रभावशील रहेगा।

(संजय कुमार)
कलेक्टर,
जिला आगर-मालवा(म.प्र.)

क्रमांक/एस.डब्ल्यू./2020/ 38 आगर-मालवा दिनांक 10/01/2020

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग, निर्माण भवन, भोपाल
2. आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन
3. प्रबंध संचालक, म.प्र.रोड़ डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल
   की ओर सूचनार्थ।
4. कलेक्टर, जिला राजगढ़(म.प्र.)
5. पुलिस अधीक्षक, राजगढ़/आगर-मालवा(म.प्र.)
6. जिला परिवहन अधिकारी, जिला राजगढ़/आगर-मालवा(म.प्र.)

...........निरंतर

7. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सुसनेर-नलखेड़ा, जिला आगर-मालवा/
खिलचीपुर, जिला राजगढ़
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
8. संभागीय प्रबंधक, म.प्र.सड़क विकास निगम, उज्जैन की ओर मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 116 के अन्तर्गत परिवर्तित मार्ग हेतु यातायात चिन्ह् लगाये जाने एवं क्षतिग्रस्त पुल को निर्धारित समयावधि में दुरस्त कराए जाने हेतु प्रेषित।
9. जिला जनसम्पर्क अधिकारी, जिला आगर-मालवा की ओर उक्त आदेश का प्रचार-प्रसार कराए जाने हेतु प्रेषित।
10. गार्ड फाईल।

कलेक्टर,
जिला आगर-मालवा(म.प्र.)